



आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3
<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>3 श्रीमती मोनीता कुमारी पिता जयप्रकाश रविदास, निवास स्थान ग्राम+पोस्ट-गौरियाकरमा, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं०-162, खाता संख्या-24, प्लॉट संख्या-120, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि अब्बु कुमारी पिता द्वारिका राम, निवास स्थान सुन्दर वन, शिवदयाल नगर, पोस्ट+थाना-हजारीबाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदिका एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.- RCMSON21012191 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-201/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2474/रा० दिनांक 04.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1239 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, चेक स्लीप एवं ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत दुखन भुइया वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.05 एकड़ है। पंजी-11 के अनुसार धारित कुल रकवा 0.05 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-61/XI पर आवेदिका के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। आवेदिका स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। आवेदिका द्वारा धारित कुल रकवा 0.05 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदिका के पास लगभग 60 डी० भूमि बचती है। आवेदिका को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही B.I.R Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को नारंगी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटाबागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती मोनीता कुमारी पिता जयप्रकाश रविदास, निवास स्थान ग्राम+पोस्ट-गौरियाकरमा, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग को छोटाबागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं0-162, खाता संख्या-24, प्लॉट संख्या-120, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि अन्वु कुमारी पिता द्वारिका राम, निवास स्थान सुन्दर वन, शिवदयाल नगर, पोस्ट+थाना-हजारीबाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहता, हजारीबाग।</p>	